शासन-457
MDM

संख्या–16/अरसठ–4–2022–390/2020

प्रेषक,

अवधेश कुमार तिवारी,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

बेसिक शिक्षा अनुभाग–4 लखनऊः दिनांकः 25 फरवरी, 2022

विषयः–पी0एम0 पोषण (मध्यान्ह भोजन योजना) वित्तीय वर्ष 2021–22 में कोविड–19 के कारण विद्यालय बन्द अवधि हेतु खाद्य सुरक्षा भत्ता के अन्तर्गत परिवर्तन लागत की धनराशि छात्रों को दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि भारत सरकार के निर्देशानुसार कोविड–19 महामारी के कारण विद्यालय बन्द अवधि हेतु विद्यालय में अध्ययनरत् छात्रों को विद्यालय दिवस हेतु खाद्य सुरक्षा भत्ता के अन्तर्गत खाद्यान्न (रविवार एवं सार्वजनिक अवकाश तथा भारत सरकार के पत्र दिनांक 12.05.2021 के अनुसार ग्रीष्मावकाश को छोड़कर) एवं परिवर्तन लागत की धनरशि उपलब्ध करायी जानी है। भारत सरकार के आदेशानुसार ग्रीष्म अवकाश की अवधि हेतु खाद्य सुरक्षा भत्ता के अन्तर्गत खाद्यान्न का वितरण नहीं किया जाना है।

2– अतः शासनादेश संख्या–760/अरसठ–4–2021–390/2020 दिनांक 04 अक्टूबर, 2021 के माध्यम से कोविड–19 महामारी के कारण विद्यालय बन्द होने की स्थिति में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत मध्यान्ह भोजन योजना से आच्छादित विद्यालयों के समस्त नामांकित छात्रों को खाद्य सुरक्षा भत्ता के अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालय स्तर के छात्रों को दिनांक 24 मार्च, 2021 से दिनांक 31 अगस्त 2021 तक कुल 94 विद्यालय दिवस (रविवार एवं सार्वजनिक अवकाश तथा भारत सरकार के पत्र दिनांक 12.05.2021 के अनुसार ग्रीष्मावकाश को छोड़कर) हेतु तथा उच्च प्राथमिक विद्यालय स्तर के छात्रों को दिनांक 24 मार्च, 2021 से दिनांक 22 अगस्त 2021 तक कुल 87 विद्यालय दिवस (रविवार एवं सार्वजनिक अवकाश तथा भारत सरकार के पत्र दिनांक 12.05.2021 के अनुसार ग्रीष्मावकाश को छोड़कर) हेतु खाद्य सुरक्षा भत्ता के अन्तर्गत खाद्यान्न वितरित किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। उक्त के क्रम में जनपदों द्वारा छात्रों को खाद्यान्न का वितरण किया जा रहा है।

3– वर्तमान में कोविड–19 महामारी के कारण विद्यालय बन्द अवधि में तथा ग्रीष्मावकाश (21.05.2021 से 30.06.2021–34 दिवस) में विद्यालय बन्द अवधि में प्राथमिक स्तर हेतु दिनांक 24.03.2021 से 31.08.2021 (सार्वजनिक अवकाश एवं रविवार को छोड़कर) 128 दिवस एवं उच्च प्राथमिक स्तर हेतु दिनांक 24.03.2021 से 22.08.2021 (सार्वजनिक अवकाश एवं रविवार को छोड़कर) 121 दिवस हेतु परिवर्तन लागत की धनराशि प्राथमिक स्तर के छात्रों को रू0 636/– तथा उच्च प्राथमिक स्तर के छात्रों को रू0 901/– खाद्य सुरक्षा भत्ता के अन्तर्गत शासनादेश संख्या–435/अड़सठ–3–2020 दिनांक 29.05.2020 में दी गयी व्यवस्था के अनुरूप जनपद स्तर से एस0एन0ए0 (सिंगल नोडल एकाउण्ट) मॉड्यूल (पी0एफ0एम0एस0) के माध्यम से छात्रों को/उनके अभिभावकों को विद्यालय स्तर पर संचालित ''मध्यान्ह भोजन निधि'' बैंक खाते से छात्रों/उनके अभिभावकों के निजी बैंक खातों में डी0बी0टी0 के रूप में उपलब्ध कराये जाने का

–2/

निर्णय लिया गया है।

4– अतः उपर्युक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि खाद्य सुरक्षा भत्ता के अन्तर्गत दी जाने वाली परिवर्तन लागत की धनराशि का स्थानान्तरण शासनादेश संख्या–435/अड़सठ–3–2020 दिनांक 29.05.2020 में दी गयी व्यवस्था के अनुरूप जनपद स्तर से एस0एन0ए0 (सिंगल नोडल एकाउण्ट) मॉड्यूल (पी0एफ0एम0एस0) के माध्यम से छात्रों को/उनके अभिभावकों को विद्यालय स्तर पर संचालित ''मध्यान्ह भोजन निधि'' बैंक खाते से छात्रों/उनके अभिभावकों के निजी बैंक खातों में डी0बी0टी0 के रूप में जनपदों द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी।

5– उक्त समस्त कार्यवाही जनपदों द्वारा पूर्ण की जायेगी, जिसका शतत् अनुश्रवण जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी एवं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा किया जायेगा।

अतएव कृपया उपर्युक्तानुसार समस्त कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर समय से सुनिश्चित की जाय।

भवदीय,

(अवधेश कुमार तिवारी)
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. संयुक्त सचिव, भारत सरकार, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, नई दिल्ली।
2. आयुक्त, खाद्य एवं रसद, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम, लखनऊ।
6. अधिशासी निदेशक, भारतीय खाद्य निगम, बारखम्भा रोड, नई दिल्ली।
7. निदेशक, मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण, उ0प्र0, लखनऊ को उनके पत्र संख्या–म0भो0प्र0/1995/2021–22 दिनांक 06.01.2022 के क्रम में इस आशय से प्रेषित कि उक्तानुसार अपेक्षित कार्यवाही समयान्तर्गत कराने का कष्ट करें।
8. निदेशक, बेसिक शिक्षा/माध्यमिक शिक्षा, उ0प्र0, लखनऊ।
9. समस्त मुख्य एवं वरिष्ठ लेखाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
10. समस्त मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), उत्तर प्रदेश।
11. समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक, उत्तर प्रदेश।
12. समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
13. समस्त वित्त एवं लेखाधिकारी, बेसिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश।
14. नियोजन अनुभाग–4/वित्त (ई–11) बजट अनुभाग–2, उत्तर प्रदेश शासन।

आज्ञा से,

(धर्मेन्द्र मिश्र)
अनु सचिव।